भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1856

दिनांक 09.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण

1856. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:
श्री बी. वाई. राघवेंद्र:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कर्नाटक के विभिन्न भागों में काफी ज्यादा संख्या में शौचालय बनाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो एसबीएम के अंतर्गत अब तक कितने शौचालयों का निर्माण किया गया तथा यदि हां, तो कर्नाटक सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास शौचालय कवरेज तथा उसके उपयोग के बीच अंतर का राज्य-वार आंकड़े हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस अंतर का क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार शौचालय के उपयोग में वृद्धि हेतु व्यवहार सुधार उपाय शुरू किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु आबंटित/मंजूर/उपयोग किए गए बजट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) एसबीएम के अंतर्गत अब तक निर्मित शौचालयों के दोहरे पिट, सोक पिट्स तथा सिंगल पिट के साथ सेप्टिक टैंक का उपयोग करने वाले शौचालयों के प्रतिशत अंश का आंकड़ा क्या है;

(च) क्या सरकार ने हाथ से मैला उठाने की मांग को रोकने हेतु शौचालय निर्मित करते समय सावधिक सफाई तथा मल अपशिष्ट का 'ऑफसाइट ट्रीटमेंट' की आवश्यकता के बिना वाली प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने हेतु कोई उपाय किया है; और

(छ) इस योजना के अंतर्गत आगामी तीन वर्षों में देश में वर्ष-वार तथा राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): राज्य द्वारा एसबीएम(जी) की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर सूचित किए गए अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] के अंतर्गत, कर्नाटक में दिनांक 02.10.2014 से 06.12.2021 तक 46,28,972 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया है।

(ख): देश में दिनांक 02.10.2014 से 06.12.2021 तक एसबीएम(जी) के तहत निर्मित आईएचएचएल का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ग) और (घ): पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी के माध्यम से वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) करवाया था। एनएआरएसएस 2019-20 के अनुसार, शौचालयों के उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है। स्वच्छता मुख्य रूप से एक व्यवहार संबंधी मुद्दा है। इसमें खुले में शौच को रोकने और सुरक्षित स्वच्छता पद्धतियों को अपनाने और शौचालयों का उपयोग करने के लिए लोगों की सोच को बदलना शामिल है। एसबीएम(जी) के तहत, सरकार सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) तथा अंतर व्यक्तिगत संचार (आईपीसी) गतिविधियों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। एसबीएम(जी) के तहत, राज्यों को आईईसी सहित सभी घटकों के लिए समेकित तरीके से निधियां जारी की जाती हैं। आईईसी पर कार्यक्रम की 5% तक निधियों का उपयोग किया जा सकता है।

(ङ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम(जी) के आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, विगत 4 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मित शौचालयों में से 79.68% ट्विन पिट्स हैं, 6.10% सैप्टिक टैंक हैं तथा 10.41% सिंगल पिट्स हैं।

(च): एसबीएम(जी) के अंतर्गत, देश के अधिकांश भागों के लिए मानवीय मल-मूत्र के निपटान के लिए लिच पिट टायलेट टैक्नोलॉजी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है, जो एक सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल ऑनलाइन स्वच्छता टैक्नोलॉजी है। इस टैक्नोलॉजी के अंतर्गत, मानवीय मल गाद 1-2 वर्षों में स्वतः खाद बन जाता है और इसके लिए किसी मैनुअल सफाई की आवश्यकता नहीं है।

(छ): ओडीएफ के परिणाम प्राप्त करने के बाद, सभी गांवों को वर्ष 2024-25 तक ओडीएफ प्लस बनाने अर्थात् ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखने तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) से गांवों को कवर करने के लक्ष्य के साथ अब एसबीएम(जी) का चरण-II कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्यों के लिए वर्ष-वार कोई भी विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। हर वर्ष, राज्य सरकारें वर्ष के दौरान किए जाने वाली गतिविधियों के ब्यौरों का उल्लेख करते हुए भारत सरकार को अपनी-अपनी वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएं (एआईपी) प्रस्तुत करती है। एसआईपी को एसबीएम(जी) की राष्ट्रीय स्कीम संस्वीकृति समिति (एनएसएससी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

***

अनुबंध-1

दिनांक 09.12.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1856 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण

दिनांक 02.10.2014 से 06.12.2021 तक एसबीएम (जी) के तहत निर्मित आईएचएचएल की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मित आईएचएचएल की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22,322
2	आंध्र प्रदेश	42,71,845
3	अरुणाचल प्रदेश	1,44,571
4	असम	39,91,086
5	बिहार	1,21,25,735
6	छत्तीसगढ़	33,73,356
7	दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव	21,472
8	गोवा	28,637
9	गुजरात	41,63,373
10	हरियाणा	6,86,986
11	हिमाचल प्रदेश	1,84,977
12	जम्मू एवं कश्मीर	12,56,773
13	झारखंड	41,27,376
14	कर्नाटक	46,28,972
15	केरल	2,39,668
16	लद्दाख	17,023
17	मध्य प्रदेश	71,46,156
18	महाराष्ट्र	68,65,713
19	मणिपुर	2,68,263
20	मेघालय	2,59,437
21	मिजोरम	43,777
22	नागालैंड	1,40,848
23	ओडिशा	70,52,208
24	पुडुचेरी	29,628
25	पंजाब	5,09,567
26	राजस्थान	81,45,978
27	सिक्किम	9,975
28	तमिलनाडु	55,06,760
29	तेलंगाना	31,06,180
30	त्रिपुरा	4,38,604
31	उत्तर प्रदेश	2,19,45,103
32	उत्तराखंड	5,21,088
33	पश्चिम बंगाल	74,00,871
	कुल	**10,86,74,328**

स्रोत: एसबीएम(जी) का आईएमआईएस

अनुबंध-2

दिनांक 09.12.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **1856** के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

एनएआरएसएस 2019-20 के अनुसार शौचालयों के उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**शौचालय की सुविधा वाली आबादी द्वारा शौचालय के उपयोग का प्रतिशत**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	97.9
2	आंध्र प्रदेश	96.4
3	अरुणाचल प्रदेश	97.3
4	असम	96.9
5	बिहार	90.7
6	छत्तीसगढ़	96.5
7	दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव	96.2
8	गोवा	92.7
9	गुजरात	96.0
10	हरियाणा	97.8
11	हिमाचल प्रदेश	99.3
12	जम्मू एवं कश्मीर	94.9
13	झारखंड	92.9
14	कर्नाटक	93.5
15	केरल	99.6
16	मध्य प्रदेश	93.1
17	महाराष्ट्र	97.7
18	मणिपुर	96.9
19	मेघालय	99.0
20	मिजोरम	100.0
21	नागालैंड	86.4
22	ओडिशा	85.3
23	पुडुचेरी	90.5
24	पंजाब	97.2
25	राजस्थान	97.8
26	सिक्किम	100.0
27	तमिलनाडु	97.2
28	तेलंगाना	96.2
29	त्रिपुरा	96.6
30	उत्तर प्रदेश	94.4
31	उत्तराखंड	96.5
32	पश्चिम बंगाल	97.5
	भारत	**95.2**